

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 159/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

मोईनउद्दीन अंसारी ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

गुलाबी मियाँ वगैरह ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

13-12-24

अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन पर संतुष्ट होकर मेरे अधिकारिता क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित निम्नलिखित भूमि पर भू-विवाद की वजह से लोक परिशांति भंग होने की संभावना पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 के तहत दिनांक 14.10.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया गया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया :-

मौजा- गुड़ीटांड, थाना- बिरनी, जिला- गिरिडीह

(1) खाता नं0- 03, प्लॉट नं0- 520, रकबा- 15.75 डी0

चौहद्दी : उ0- खेदन मियाँ, द0- रास्ता, पू0- जगमनी मियाँ, प0- अब्दुल बारीक

(2) खाता नं0- 03, प्लॉट नं0- 543, रकबा- 21.75 डी0

चौहद्दी : उ0- गनी मियाँ, द0- रास्ता, पू0- गनी मियाँ, प0- जगमनी मियाँ

(3) खाता नं0- 03, प्लॉट नं0- 148, रकबा- 26.50 डी0

चौहद्दी : उ0- रास्ता, द0- बंधु मियाँ, पू0- मजफर अंसारी, प0- जगमनी मियाँ

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा। प्रथम पक्ष का कहना है कि वादग्रस्त भूमि उन्होंने दो निबंधित विक्रय पत्र, (1) संख्या 1639 दिनांक 20.10.2023 तथा (2) सं0- 1613 दिनांक 17.10.2023 से खरीदा है तथा उक्त भूमि का दाखिल खारिज करवा कर जमाबंदी कायम करवाया है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में दो निबंधित केवाला की छायाप्रति, एक सर्वे खतियान की छायाप्रति, एक ऑनलाइन अधिकार अभिलेख की छायाप्रति, ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति, एक लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

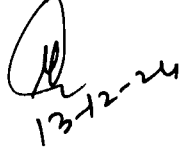
वही दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि उन्हें निबंधित केवाला सं०- 17391 दिनांक 25.06.1974 से हासिल है। साथ ही उक्त भूमि की जमाबंदी अंचल कार्यालय बिरनी के पंजी-II भाग सं०-03 पृष्ठ सं०- 24 पर कायम है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में केवाला सं०- 17391 दिनांक 25.06.1974 की छायाप्रति, Partition suit 12/2000 की सत्यापित कॉपी की छायाप्रति, वंशावली की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, ऑनलाइन पंजी-II की छायाप्रति, Mutation appeal के आवेदन की छायाप्रति, ऑफलाइन पंजी-II की छायाप्रति संलग्न करते हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अध्ययन तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं। उभय पक्ष पूर्व में उक्त जमीन का बंटवारा कर चुके हैं। द्वितीय पक्ष को विवादग्रस्त भूमि निबंधित विक्रय पत्र से सन् 1974 से हासिल है तथा प्रथम पक्ष को भूमि निबंधित विक्रय पत्र से 2023 में हासिल हुआ है।

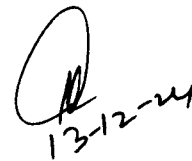
चूँकि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी काफी लंबे समय (long standing) से कायम है अतः उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दावा अधिक मजबूत प्रतीत होता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त (vacate) तथा प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया